

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन, 02, गुरुवार, शाके 1948- सितम्बर 24, 2026 Asvina 02 , Thursday, Saka 1948- September 24, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 17, 2026

संख्या ज.वि.प्रा/उपा/जोन-13/2026/डी-1003:-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 22,23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जोनल विकास योजना-13 जयपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22-05-2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 398वीं बैठक दिनांक 10-06-2025 एवं शुद्धिपत्र दिनांक 22-07-2025 में समिति द्वारा कमिटमेंट के आधार पर ग्राम-पीलवा, तहसील आमेर में जोनल विकास योजना-13 की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क (PZ-13/30/39/P2) का अलाइनमेंट कमिटमेंट के भाग में कमिटमेंट के पूर्वी सीमा से लगते हुए प्रस्तावित किया जाने एवं दोनों भागों को पुनः जोनल विकास योजना की 30 मीटर सड़क में मिलाया जाने बाबत निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 25(3) के तहत ग्राम-पीलवा तहसील-आमेर में जोनल विकास योजना-13 की 30 मीटर सड़क (PZ-13/30/39/P2) का अलाइनमेंट बिन्दु संख्या बी, सी, डी, एवं ई के स्थान पर प्रस्तावित अलाइनमेंट बिन्दु संख्या बी, बी-1, बी-2, सी-1, डी-1, ई-1 एवं ई के संबंध में दिनांक 25-07-2025 को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र क्रमशः राजस्थान पत्रिका एवं समाचार जगत में आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिवस की सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति जारी की गयी। जिसके संबंध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण को पुनः बीपीसी-एलपी की 414वीं बैठक दिनांक 04-11-2025 में रखा जाकर जोनल विकास योजना-13 की उपरोक्त वर्णित सड़क के अलाइनमेंट में संशोधन किये जाने के संबंध में जविप्रा अधिनियम की धारा 25 की अधिसूचना की कार्यवाही सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में जोनल विकास योजना-13 की 30 मीटर सड़क (PZ-13/30/39/P2) का अलाइनमेंट बिन्दु संख्या बी, सी, डी, एवं ई के स्थान पर बिन्दु संख्या बी, बी-1, बी-2, सी-1, डी-1, ई-1 एवं ई अनुसार (सड़क अलाइनमेंट) संशोधन अधिसूचित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार जोनल विकास योजना-13 में 30 मीटर सड़क (PZ-13/30/39/P2) का अलाइनमेंट में संशोधन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 17-06-2026 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थानराजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन की दिनांक से जोनल विकास योजना-13 का भाग मानाजाकर प्रभावी होगी।

गौरव सैनी

सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।